राजकीय कन्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर, जिला बिलासपुर के लेखाओं अवधि 4/2010 से 3/2013 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

संस्था के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्रवाई का सत्यापन करने के पश्चात पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई।

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा–3	समाप्त
2	पैरा–4	समाप्त
3	पैरा–5	समाप्त
4	पैरा–6	समाप्त
5	पैरा–7 (क)	समाप्त
6	पैरा–7 (ख)	समाप्त

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

संस्था के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 3/2013 तक, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गये है, श्री चम्बेल सिंह परमार अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 1.7.2013 से 8.7.2013 के दौरान बिलासपुर में किया गया। विस्तृत जांच हेतु निमनलिखित मासों का चयन किया गया।

वर्ष	आय	व्यय
2010–11	7/2010	9/2010
2011–12	7/2011	11/2011
2012–13	7/2012	11/2012

अनुवर्ती पैरों में वर्णित अभिलेखों के अतिरिक्त समस्त अपेक्षित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किया गया। संस्था में अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यरत रहेः–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/पद	अवधि
1	श्री कुलदीप चन्द चडडा (प्रधानाचार्य)	1.4.2010 से 31.3.2013

अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। संस्था द्वारा कोई भी सूचना प्रस्तुत न करने एवं गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

संस्था के लेखों अवधि 4/2010 से 3/2013 तक की लेखा परीक्षा हेतु अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹4200/– किया गया है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 134 दिनांक 15.7.2013 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि का रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को भेजने हेतु प्रधानाचार्य से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) बिलासपुर के लेखों अवधि 4/2010 से 3/2013 तक की वित्तीय स्थिति का विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट "क" पर दिया गया है।

(क) वित्तीय स्थिति बैंक पास बुकों के आधार पर तैयार की गई है। रोकड़ वही का रख रखाव उचित प्रकार से नहीं किया गया। रोकड़ वही में आदि शेष व अन्तशेष का विवरण नहीं दिया गया था रोकड़ वही में केवल भुगतान व प्राप्ति दर्शाकर प्रविष्टियां की गई। भुगतान का विस्तृत विवरण किसे भुगतान किया गया, किस उद्देश्य से भुगतान किया तथा किस आधार पर भुगतान किया गया कोई विवरण नहीं दिया गया था। बैंक खाते से सम्बन्धित लैजर का निर्माण किया गया था जिसमें पास बुक में बैंक द्वारा की गई प्रविष्टियों की कापी की गई थी। रोकड़ वही नियमानुसार उचित प्रकार से न लिखे जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। भविष्य में आदि शेष लेकर रोकड़ वही लिखी जाये तथा प्रतिमाह अन्त में अन्तिम शेष निकाला जाये जिसका बैंक खातों के साथ मिलान करके अन्तिम शेष को प्रधानाचार्य से सत्यापित करवाया जाये तथा रोकड़ वही में भुगतान के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण किसे भुगतान किया गया किस उद्देश्य से भुगतान किया गया व किस आधार पर भुगतान किया गया इत्यादि लिखा जाना भी सुनिश्चित किया जाये

5 निवेशः—

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (कन्या) बिलासपुर द्वारा दिनांक 31.3.2013 को निम्न विवरणानुसार ₹198423/— की राशियां सावधि जमा खातों में निवेश की गई थी। निवेश की गई राशियों को उनकी परिपक्वता तिथि को भुनाया जाना एवं पुनः निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

क्र0सं0	निधि का नाम	सावधि जमा संख्या	निवेश की तिथि	अवधि	निवेशित राशि	ब्याज दर	बैंक का नाम
1	विकास निधि	940163	3.11.2012	1 वर्ष	99187	9%	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक बिलासपुर
2	चिकित्सा निधि	940161	3.11.2012	1 वर्ष	49594	9%	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक बिलासपुर
3	आईकार्ड निधि	940162	3.11.2012	1 वर्ष	9967	9%	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक बिलासपुर
4	परीक्षा निधि	940158	1.11.2012	1 वर्ष	39675	9%	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक बिलासपुर
			कुल राशि		**198423**		

(ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विभिन्न छात्र निधियों में उपरोक्त सावधि जमा में निवेशित राशियों के अतिरिक्त दिनांक 31.3.2013 को ₹876761/— की राशि शेष पाई गई जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। इन राशियों को सावधि जमा में निवेश न करने के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना पड़ा जिसका उपयोग छात्रों के कल्याणार्थ किया जा सकता था। अतः लेखा परीक्षा का सुझाव है कि बचत खातों में बिना उपयोग के पड़ी अत्याधिक राशियों को आगामी वर्ष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये सावधि जमा खातों में निवेश किया जाये

ताकि अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित न होना पड़े व उचित वित्तीय प्रबन्धन भी सुनिश्चित हो सके।

क्र0सं0	निधि का नाम	खाता संख्या	31.3.2013 को शेष राशि (₹)
1	संस्था प्रतिभूति	146	42809
2	छात्र विकास निधि	147	29384
3	विकास निधि	1052	250750
4	चिकित्सा निधि	1053	103364
5	पहचान पत्र निधि	1055	25502
6	परीक्षा निधि	1054	94946
7	लाईब्रेरी निधि	1377	21327
8	पी0एन0टी0सी0 / एन0टी0सी0	1303	18008
9	बिजली व पानी निधि	1520	139509
10	एलआईसी निधि	2409	13696
11	कम्पयूटर निधि	1104	77571
12	ट्रेनिंग व प्लेसमैन्ट निधि	1279	99895
		कुल राशि	**876761**

6 <u>रसीद बुकों के उपयोग में अनियमितताः—</u>

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि छात्राओं से शुल्क व निधियों की वसूली करते समय उन्हें रसीदों जारी की गई थी रसीदें जारी करते समय एक समय में एक से अधिक रसीद बुकों का उपयोग किया गया था। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। रसीद बुकों को क्रमवार उपयोग न करना एक गम्भीर अनियमितता है। रसीद बुकों को क्रमवार उपयोग न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में एक रसीद बुक को पूर्णतया उपयोग करके दूसरी रसीद बुक उपयोग की जाये।

क्र0सं0	रसीद बुक क्रमांक	उपयोग की तिथि
1	801 से 900	16.8.2005 से 20.7.2010
2	1201 से 1300	8.8.2008 से 7.4.2011
3	1501 से 1569	7.'4.2011 से 5.3.2013
4	2901 से 2988	29.12.2011 से 18.6.2013

7 **₹24780/– का प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भुगतान न करने बारेः–**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) बिलासपुर में वर्ष 2012–13 के दौरान प्रवेश के समय कुछ छात्राओं को प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की सीटों के विरूद्ध प्रवेश दिया गया था। इन छात्राओं से प्राप्त निधि सम्बन्धित प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भेजे जाने थे जिन प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेंश के पश्चात छात्राओं को भेजा गया था। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की सीटों के विरूद्ध प्रवेश देने पर छात्राओं से निधियों के रूप में **₹**24780/– प्राप्त किये थे। इस राशि को छात्र विकास निधि में जमा किया गया। लेखा परीक्षा होने तक यह राशि सम्बन्धित प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को नहीं भेजी गई, जहां पर प्रवेश के पश्चात छात्राओं को भेजा गया था। अतः निधियों की प्राप्त राशि सम्बन्धित प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को न भेजने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा प्राप्त राशि को अब भेजकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	रसीद सं0	दिनांक	नाम	राशि (₹)
1	2920	16.7.12	शिखा कुमारी	4130
2	2931	16.7.12	अनिता कुमारी	4130
3	2932	16.7.12	सीमा कुमारी	4130
4	2933	16.7.12	निशा कुमारी	4130
5	2935	16.7.12	नीना कुमारी	4130
6	2936	16.7.12	शिशा कुमारी	4130
			कुल राशि	**24780**

8 <u>कम्पयूटर निधिः–</u>

कम्पयूटर निधि से दिनांक 4.5.2011 को कार्यालय के दूरभाष बिल का भुगतान करने हेतु ₹3060/– अग्रिम राशि ली थी यह राशि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान वापिस कम्पयूटर निधि में जमा नहीं की गई थी। अतः इस राशि को शीघ्र सम्बन्धित निधि में जमा किया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

9 <u>बीमा निधिः–</u>

वर्ष 2010–11 व 2011–12 के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग करने वाली छात्राओं से बीमा निधि प्राप्त की गयी थी लेकिन इन छात्राओं का बीमा नहीं करवाया गया था। बीमा निधि प्राप्त करके बीमा न करवाने के कारण निधि प्राप्त करने का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। अतः बीमा निधि प्राप्त करके बीमा न करवाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में नियमित रूप से छात्राओं का बीमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10 विकास निधिः–

(क) विकास निधि से दिनांक 17.6.2010 को बिल संख्या 945 द्वारा मै0 डोगरा हाजरी बिलासपुर से निम्न वर्णित सामग्री क्रय की गई थी।

क्र0सं0	सामग्री का विवरण	मात्रा	दर (₹)	राशि (₹)
1	ट्रैक सूट	35 नं0	475	16625
2	प्लेईंग किट	35 नं0	251.75	8811
3	पी0टी0 किट	35 नं0	180	6300
4	जुराबें	35 नं0	35	1225
			जोड़	32961
			वैट	1648
				34609

उपरोक्त सामग्री की खरीद के सम्बन्ध में कोई भी औपचारिकता पूर्ण नहीं की गई थी। न तो कुटेशन आमन्त्रित की गई थी न ही दर संविदा के आधार पर क्रय किया गया था। बिना औपचारिकताओं को पूर्ण किये खुले बाजार से क्रय की गई सामग्री का सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमितीकरण करवाया जाये।

(ख) छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता दिनांक 12.6.2010 से 19.6.2010 तक धर्मशाला में आयोजित की गई थी छात्राओं के साथ श्रीमती मीना देवी ट्रेनर व श्री अनिल कुमार ट्रेनर धर्मशाला गये थे। प्रत्येक ट्रेनर को ₹998/– का भुगतान यात्रा भत्ता दावे के रूप में किया गया था। लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि श्रीमती मीना देवी ट्रेनर व श्री अनिल कुमार ट्रेनर को दिनांक 12.6.2010 को दैनिक भत्ते का भुगतान दो बार किया गया था जिसके फलस्वरूप दोनों को ₹144.00 का अधिक भुगतान किया गया था। लेखा परीक्षा के दौरान आपत्ति उठाये जाने पर ₹144/– की वसूली करके सम्बन्धित निधि बैंक खाता संख्या 1052 में दिनांक 5.7.2013 को जमा कर दी गई जिसकी पुष्टि कर ली गई।

11 संस्था प्रतिभूति निधिः–

संस्था प्रतिभूति निधि की रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 8.6.2012 का 39 छात्राओं को ₹500.00 प्रति छात्रा की दर से ₹19500.00 का भुगतान संस्था प्रतिभूति की राशि वापिस करने पर दर्शाया गया था। भुगतान सूची में क्रम संख्या 25 पर दर्शाई गई छात्रा को चैक संख्या 934530 दिनांक 12.6.2013 द्वारा भी भुगतान किया गया। अतः भुगतान सूची की क्रम संख्या 25 पर दर्शाई गई छात्रा को दो बार भुगतान दर्शाये जाने पर ₹500.00 का अधिक भुगतान किया गया। लेखा परीक्षा के दौरान आपत्ति उठाये जाने पर ₹500.00 की अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करके यह राशि दिनांक 8.7.2013 को सम्बन्धित निधि/बैंक खाते में जमा कर दी गई जिसकी पुष्टि कर ली गई।

12 बिजली व पानी निधिः–

बिजली व पानी निधि से माह 11/2012 में ₹14225/– का व्यय दर्शाया गया। भुगतान के सत्यापन हेतु वाऊचर अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। न ही रोकड़ वही में विवरण दिया गया था कि भुगतान किसे व किस उपलक्ष में किया गया। भुगतान के सत्यापन हेतु

वाऊचर आगामी अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत किये जाये अन्यथा दर्शाये गये व्यय ₹14225/– की उचित माध्यम से वसूली करके सम्बन्धित निधि मे ंजमा की जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

13 छात्र विकास निधिः–

छात्र विकास निधि से श्रीमती सुषमा देवी मुख्या शिल्प अध्यापिक को दिनांक 19.10.2010 को ₹10000.00 अग्रिम राशि प्रदान की गई। अग्रिम राशि छात्राओं द्वारा टैंक फेस्ट में भाग लेने पर किये जाने वाले व्यय करने हेतु प्रदान की गई थी। उपरोक्त अग्रिम राशि के विरूद्ध ₹4407/– का व्यय दर्शाया गया था। शेष राशि ₹5593.00 लेखा परीक्षा होने तक सम्बन्धित निधि में जमा नहीं की गई। शेष अग्रिम राशि ₹5593/– को जमा न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा राशि की वसूली करके सम्बन्धित निधि में जमा करके अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

14 **लधु आपत्ति विवरणिकाः**– यह अलग से जारी नहीं की गई।

15 **निष्कर्षः**– लेखाओं के रखरखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0) 2 (सी)(15) 11(12)106/98 खण्ड–2 दिनांक,29.11.2013 शिमला–171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) बिलासपुर जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 शिमला–9 को अतिशीध्र भेजे।

3 प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा) हि0प्र0 सरकार
4 निदेशक, तकनीकी शिक्षा हि0प्र0, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0
4 श्री चम्बेल सिंह परमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा..........

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.